फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

मीनाक्षी बनाम नरेश कुमार वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 05/23

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.01.2023	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री रामचन्द्र वैष्णव एड0 एवं अमरनार्थ शर्मा एड0 द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसीया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा रायपुरा ब्राहम्णान तहसील सिकराय जिला दौसा में खसरा नम्बर 177, 179 एवं 207 में जवाब पेश होने तक वाद भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 14 के हिस्से की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 14.02.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2023.02.21 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

15/23 मूल वाद में प्रार्थना पत्र मिसल शामिल [illegible] पर मूल वाद के साथ पत्रावली [illegible] मूल वाद का निस्तारण किया [illegible] अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] पर आदेश की पालना [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

(पि.कं.)